

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 592 / 2008  
संस्थान दिनांक 31.12.2008

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड़  
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

**वि रू द्ध**

भेरूसिंह पिता हीरालाल, आयु 45 वर्ष  
निवासी- ग्राम मण्डवाड़ा,  
हाल मुकाम भाकसुर, जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

**// / निर्णय //**

**(आज दिनांक 10.02.2016 को घोषित )**

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 78 / 2008 अंतर्गत धारा 25 / 27 आयुध अधिनियम में दिनांक 30.12.2008 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 25.04.2008 को समय 21:35 बजे, यात्री प्रतिकालय बस स्टेण्ड, अंजड़ पर अपने आधिपत्य में पेंट की जेब में अवैध रूप से एक देशी रिवाल्वर 06 राउण्ड का जिसके अंदर एक गोली भरी हुई थी, बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखे होना पाये जाने के संबंध में धारा 25 (1-आ) क आयुध अधिनियम के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।
3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 25.04.2008 को थाना अंजड़ के निरीक्षक जगरामसिंह कुशवाह को कस्बा भ्रमण एवं रोड़ गश्त हेतु मय फोर्स सहायक उपनिरीक्षक रघुवंशी, आरक्षक भारत, आरक्षक सुरेश, आरक्षक आशीष मय शासकीय वाहन के रवाना होकर बस स्टेण्ड पहुँचे जहाँ मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति यात्री प्रतिकालय में संदिग्ध अवस्था में बैठा हुआ है जिसके पास एक देशी रिवाल्वर 06 राउण्ड का है। सूचना पर विश्वास कर पंचान सुभाष एवं राकेश निवासी अंजड़ को तलब

कर मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर मय फोर्स एवं पंचान यात्री प्रतिकक्षालय की घेराबंदी की एवं मुखबिर द्वारा बताया व्यक्ति मिला जिससे नाम पता पूछा तो अपना नाम भेरु पिता हीरालाल निवासी ग्राम मण्डवाड़ा का होना बताया जिसकी पंचों के समक्ष तलाशी लेने पर पेंट की जेब में एक देशी रिवाल्वर 06 राउण्ड का मिला जिसके अंदर एक राउण्ड अंदर फंसा हुआ है। अभियुक्त से रिवाल्वर के संबंध में लायसेंस पूछने पर नहीं होना बताया। पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त से एक देशी रिवाल्वर 06 राउण्ड का जिसके अंदर एक गोली भरी हुई थी कीमत लगभग 1000/- रुपये, को जप्त कर प्रदर्शपी 1 का जप्ती पंचनामा बनाया। पुलिस ने अभियुक्त को थाने लाकर अपराध क्रमांक 78/2008 अंतर्गत धारा 25, 27 आयुध अधिनियम में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 8 लेखबद्ध की साक्षियों एवं फरियादी के कथन लेखबद्ध कर सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र अंतर्गत आयुध अधिनियम की धारा 25, 27 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया ।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 25 (1-आ) क आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

क्या अभियुक्त दिनांक 25.04.2008 को समय 21:35 बजे, यात्री प्रतिकक्षालय बस स्टेण्ड, अंजड़ पर अपने आधिपत्य में पेंट की जेब में अवैध रूप से एक देशी रिवाल्वर 06 राउण्ड का जिसके अंदर एक गोली भरी हुई थी, बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखे होना पाया गया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में साक्षी सुभाष मुकाती (अ.सा.1), राकेश पाटीदार (अ.सा.2), रामकिशन (अ.सा.3), आर्म्स लिपिक चन्द्रसिंह (अ.सा.4) एवं जगरामसिंह कुशवाह (अ.सा.5) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

### साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में साक्षी जगरामसिंह कुशवाह अ.सा.5 का कथन है कि दिनांक 25.04.2008 को वह पुलिस थाना अंजड़ में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था तथा फोर्स के साथ कस्बा भ्रमण एवं रोड़ गश्त पर निकला था, तब बस स्टेण्ड पर मुखबिर से सूचना मिल थी कि यात्री प्रतिकालय में एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में रिवाल्वर लिये हुए बैठा हुआ था। उक्त सूचना को उसने बस स्टेण्ड पर ही जाते हुए साक्षी सुभाष मुकाती एवं राकेश पाटीदार को बुलाकर सूचना से अवगत कराया तथा प्रतिकालय की घेराबंदी कर उक्त व्यक्ति को दबोचा, जिससे पूछने पर अपना नाम भेरूलाल भीलाला, निवासी ग्राम मण्डवाड़ा का होना बताया था। उसकी तलाशी लेने पर पेंट की जेब से एक देशी रिवाल्वर हाथ निर्मित मिला जिसमें एक कारतूस 6 राउण्ड का लगा था। उसने अभियुक्त को उक्त रिवाल्वर पास रखने के संबंध में अनुज्ञप्ति की पूछताछ की तो तब उसने रिवाल्वर को कब्जे में रखने की कोई अनुज्ञप्ति नहीं होना बताया। उसने जप्ती पंचनामा प्रदर्शपी 1 का बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्त रिवाल्वर आर्टिकल "ए" है जिस पर उसने जप्ती चीट लगाई थी। उसने अभियुक्त को मौके पर गिरफ्तार किया था तथा विवेचना के दौरान सुभाष एवं राकेश के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने रिवाल्वर एवं अभियुक्त को लेकर थाने पर गया था जहाँ अपराध क्रमांक 78/2008 प्रदर्शपी 8 का दर्ज किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने जप्त रिवाल्वर एवं कारतूस को जाँच के लिए पुलिस लाईन बड़वानी भेजा था, जिसकी जाँच रिपोर्ट प्रदर्शपी 6 की प्राप्त हुई थी। अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति हेतु जिला दण्डाधिकारी बड़वानी को पुलिस अधीक्षक बड़वानी के माध्यम से पत्र भेजा था तथा जिला दण्डाधिकारी बड़वानी ने अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदर्शपी 7 की प्रदान की थी।

8. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने उक्त दिनांक को गश्त पर रवाना होने की रोजनामचे की प्रति प्रकरण में पेश नहीं की है। सूचना बस स्टेण्ड पर किस स्थान पर मिली थी, वह नहीं बता सकता है। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि उसने अभियुक्त को घटना दिनांक 25.04.2008 से 2-4 दिन पूर्व थाने पर बैठा रखा था और उसके साथ मारपीट की थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त को उसने उसके पिता की हत्या में मिथ्या फंसाना चाहता था। इस कारण अभियुक्त के विरुद्ध यह मिथ्या प्रकरण बनाया गया है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्त के विरुद्ध असत्य प्रकरण बनाया है अथवा असत्य विवेचना की है।

9. रामकिशन असा 3 ने दिनांक 23.05.2008 को पुलिस लाईन बड़वानी में थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 78/2008 में जप्त रिवाल्वर एवं कारतूस की जाँच करने और उसे चालु हालत में होना पाया है। साक्षी ने आर्टिकल 'ए' का रिवाल्वर और अपनी जाँच रिपोर्ट प्रदर्शनी 6 भी प्रमाणित की है।

10. चन्द्रसिंह असा 4 ने दिनांक 16.09.2008 को जिला दण्डाधिकारी बड़वानी के कार्यालय में रीडर एवं आर्म्स लिपिक के पद पर पदस्थ होने तथा तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट एस. के. पाल द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोजन चलाने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि श्री एस.के. पाल ने अभियुक्त के विरुद्ध प्रदर्शनी 7 की अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की जिसके ए से ए भाग पर श्री एस.के. पाल के हस्ताक्षर हैं जो वह पहचानता है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उक्त अभियोजन की स्वीकृति देते समय वह उपस्थित नहीं था अथवा जप्त रिवाल्वर एवं कारतूस एवं केस डायरी जिला मजिस्ट्रेट के समय अभियोजन स्वीकृति हेतु पेश नहीं किये गये थे।

11. सुभाष मुकाती असा 1 तथा राकेश पाटीदार असा 2 अभियुक्त से उक्त रिवाल्वर एवं कारतूस जप्त करने के पंचसाक्षी हैं, लेकिन उक्त दोनों ही साक्षियों ने अभियुक्त को पहचानने या उनके सामने अभियुक्त से कोई भी वस्तु जप्त करने से स्पष्ट इंकार करके अभियोजन के मामले का पूर्णतः खण्डन किया है। साक्षीगण ने केवल प्रदर्शनी 1 व 2 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। न्यायालय द्वारा उक्त साक्षियों से सूचक प्रश्न पूछने जाने पर भी साक्षियों ने इस सुझाव से इंकार किया कि वर्ष 2008 में अंजड़ के थाना प्रभारी ने अभियुक्त से उनके सामने एक देशी रिवाल्वर 6 राउण्ड का बगैर लायसेंस का जप्त किया था। यहाँ तक कि साक्षियों ने प्रदर्शनी 3 एवं 4 के कथन पुलिस को देने से भी इंकार किया है। साक्षियों ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि जगरामसिंह कुशवाह ने उनसे प्रदर्शनी 1 व 2 के कोरे पंचनामों पर हस्ताक्षर करवाये थे।

12. ऐसी स्थिति में जबकि जप्ती पंचनामों के दोनों साक्षियों ने अभियोजन के मामले का बिल्कुल समर्थन नहीं किया है। यहाँ तक कि उन्होंने अभियुक्त को पहचानने से भी इंकार किया है। तो ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा शंकास्पद हो जाती है। यहाँ तक कि जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी जगराम सिंह कुशवाह ने गश्त पर जाने और अभियुक्त के साथ रिवाल्वर लेकर वापस आने के संबंध में थाने के रोजनामचे की कोई भी प्रतिलिपि प्रकरण में पेश एवं प्रमाणित नहीं की है। ऐसी स्थिति में उनकी घटनास्थल पर उपस्थिति संदेहास्पद हो जाती है और अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का अधिकारी हो जाता है क्योंकि संदेह कितना भी प्रबल क्यों न हो वह साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है तथा जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी की अपुष्ट साक्ष्य के आधार पर अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं होता है।

13. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त भेरूलाल के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त भेरूलाल को संदेह का लाभ देते हुए धारा 25 (1-आ) क आयुध अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

14. प्रकरण में जप्तशुदा एक देशी रिवाल्वर 06 राउण्ड का तथा 01 कारतूस विधिवत निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी बड़वानी भेजा जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बड़वानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बड़वानी

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक  
मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी (म0प्र0)

// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत //

मै श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 747/2015 (शासन  
तर्फे पुलिस ठीकरी विरुद्ध महेश) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र  
निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ—

अभियुक्त का नाम :- महेश पिता भुरला, आयु 20 वर्ष  
निवासी— एहमदपुर, खैगाव,  
थाना मोघर, जिला खण्डवा म.प्र.

गिरफ्तारी का दिनांक :- 08.12.2015

पुलिस रिमाण्ड की दिनांक :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा की दिनांक :- 28.12.2015

इस प्रकार अभियुक्त ने दिनांक 08.12.2015 से दिनांक  
28.12.2015 तक कुल 20 दिवस न्यायिक निरोध में बिताये है।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़,  
जिला-बड़वानी, म0प्र0

